



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016/वैशाख 20, 1938

No. 330]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/VAISAKHA 20, 1938

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2016

सा.का.नि. 496(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (चौथा संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 10 में SO₂ तथा NO_x से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"10.	सीमेंट मानक (बिना प्रसंस्करण के), एकल आधार का खंगर पिसाई संयंत्र या सम्मिश्रण संयंत्र	क. उत्सर्जन मानक	
		(i) धूर्णक भट्टा – बिना प्रसंस्करण के	
		प्रारंभ की तारीख	स्थान
		(क)	(ख)
		अधिकतम सान्द्रता, मि.ग्रा./एन एम ³ में	(ग)
		सल्फर डाईआक्साइड (SO ₂) मि.ग्रा./ एन एम ³ में	प्रारंभ की तारीख को ध्यान में रखे बिना देश में किसी भी स्थान पर जब चूना-पत्थर में पाइरिटिक गन्धक क्रमशः 0.25% से कम, 0.25 से 0.5% और 0.5% से अधिक हो तो 100, 700 और 1000।

		नाइट्रोजन आक्साइड (NO _x)	अधिसूचना की तारीख के बाद (25.8.2014)	देश में किसी भी स्थान पर	(1) 600
		मि.ग्रा./ एन एम ³ में	अधिसूचना की तारीख से पूर्व (25.8.2014)	देश में किसी भी स्थान पर	(2) इन-लाइन कैल्सिनर प्रौद्योगिकी सहित रोटरी किल्न के लिए 800। (3) आईएलसी, पृथक लाइन कैल्सिनर (एस एल सी) और सस्पेंशन प्रि-हीटर प्रौद्योगिकी या केवल एस एल सी प्रौद्योगिकी या बिना कैल्सिनर मिश्रित स्ट्रीम का उपयोग करते हुए रोटरी किल्न के लिए 1000।

- (i) रोटरी किल्न के संबंध में बिना सह-प्रसंस्करण के सभी पैरामिटर्स अर्थात् सल्फर डायऑक्साइड (SO₂), आक्साइड आफ नाइट्रोजन (NO_x) और पार्टिक्युलेट मैटर (PM) के लिए उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन की समय-सीमा 31 मार्च, 2017 तक होगी।
- (ii) सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) के लिए उत्सर्जन मानकों का पुनर्विलोकन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनः किया जाएगा।
- (iii) अधिसूचना संख्यां सा.का.नि. 612 (अ) तारीख 25 अगस्त, 2014 में जहां कहीं भी शब्द 'NO₂' आता है, उसके स्थान पर 'NO_x' रखा जाएगा।

[फा. सं. क्यू-15017/32/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात् :-

का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2014 ; का. आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2015; का.आ. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016, सा.का.नि. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016 और अंत में सा.का.नि. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**New Delhi, the 9th May, 2016

G.S.R. 496(E).—In exercise of powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, Namely :-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fourth Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986 in Schedule I, for serial number 10 and the entries relating to SO₂ and NO_x, the following shall be substituted, namely:-

S. No	Industry	Parameter	Standards		
(1)	(2)	(3)	(4)		
“10.	Cement Plant (without co processing), Standalone Clinker Grinding Plant or, Blending Plant	A – Emission Standards			
		(i) Rotary Kiln –without co processing			
			Date of Commissioning	Location	Concentration not to exceed, in mg/Nm ³
			(a)	(b)	(c)
		Sulphur Dioxide (SO ₂) in mg/Nm ³	Irrespective of date of commissioning	Anywhere in the country	100, 700 and 1000 when pyritic sulphur in the limestone is less than 0.25%, 0.25 to 0.5% and more than 0.5% respectively.
		Oxides of Nitrogen (NO _x) in mg/Nm ³	After the date of notification (25.8.2014)	Anywhere in the country	(1) 600
			Before the date of notification (25.8.2014)	Anywhere in the country	(2) 800 for rotary kiln with In Line Calciner (ILC) technology. (3) 1000 for rotary kiln using mixed stream of ILC, Separate Line Calciner (SLC) and suspension pre-heater technology or SLC technology alone or without calciner.

- (i) The timeline for implementation of emission standards for all the parameters i.e. Sulphur Dioxide (SO₂), Oxides of Nitrogen (NO_x) and Particulate Matter (PM), with respect to Rotary Kiln without co-processing shall be up to the 31st March, 2017.
- (ii) The emission standards for Sulphur Dioxide (SO₂) shall be reviewed after a period of five years from the date of notification of these rules.
- (iii) The word ‘NO₂’ shall be substituted by ‘NO_x’ wherever it occurs in the notification vide G.S.R. 612(E) dated 25th August, 2014.”.

[F. No. Q-15017/32/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07th May, 2014, G.S.R. 612, (E), dated the 25th August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November 2014; S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015; S.O.4(E), dated the 1st January 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January 2016 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 281 (E), dated the 7th March, 2016.